बिहार सरकार
उद्योग विभाग

आदेश

विषय– औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। उक्त नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 परिचारित किया गया। इस अधिनियम के नियम– 16 के अंतर्गत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम, 2016 बनाया गया है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के नियम– 7 में पात्र औद्योगिक ईकाइयों को ससमय वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् सचिवालय को प्राधिकृत किया गया है तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम, 2016 के नियम– 7(2) में निहित प्रावधान के अनुसार निर्धारित सक्षम प्राधिकार के द्वारा समय–सीमा में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम, 2016 के 7(4) में प्रावधान है कि एक बार प्रोत्साहन की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद सचिवालय को आगे किसी प्राधिकार को बिना संदर्भ किए अनुदान का वितरण करना है।

अतः बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम, 2016 के 7(4) में निहित प्रावधान के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस पर सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद वित्तीय प्रोत्साहन की विमुक्ति के लिए उद्योग निदेशक–सह–सदस्य सचिव के अनुमोदन से ही वित्तीय प्रोत्साहन की विमुक्ति संबंधी स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

23/11/18

(प्रकाश टोप्पो)
संयुक्त उद्योग निदेशक
उद्योग निदेशालय, बिहार,
पटना।

संo संo–एसoआईoपीoबीo / अनुदान / 28 / 2018– 4121 दिनांक– 23 नवम्बर, 2018

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / उद्योग निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना / निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना / निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना / सभी संयुक्त उद्योग निदेशक / सभी उप उद्योग निदेशक / प्रभारी राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् / प्रशाखा पदाधिकारी, राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद्, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्।

23/11/18

(प्रकाश टोप्पो)
संयुक्त उद्योग निदेशक
उद्योग निदेशालय, बिहार,
पटना।